

कृषि मंत्रालय

मांग संख्या 2

कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	बजट 2009-2010			संशोधित 2009-2010			बजट 2010-2011			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व	1760.00	1481.40	3241.40	1760.00	1501.36	3261.36	2300.00	1518.05	3818.05	
पूंजी	
जोड़	1760.00	1481.40	3241.40	1760.00	1501.36	3261.36	2300.00	1518.05	3818.05	
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	...	3.74	3.74	...	3.24	3.24	...	3.05	3.05
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को कृषि अनुसंधान और शिक्षा संबंधी अदायगियां (आईसीएआर)										
2. फसल कार्य										
2.1 कृषि उत्पाद उपकर अधिनियम, 1940 के अन्तर्गत उपकर की निवल प्राप्तियों की अदायगियां	2415	...	10.00	10.00	...	2.45	2.45	...	3.00	3.00
2.2 फसल कार्य के अन्य कार्यक्रम										
2.2.01 फसल विज्ञान	2415	300.00	352.30	652.30	300.00	372.26	672.26	354.20	363.00	717.20
2.2.02 बागवानी	2415	88.00	157.60	245.60	96.00	161.80	257.80	116.00	162.00	278.00
2.2.03 कृषि विस्तार	2415	282.00	1.43	283.43	282.00	1.43	283.43	350.00	1.50	351.50
2.2.04.01 कृषि शिक्षा	2415	418.37	11.80	430.17	406.32	11.80	418.12	437.50	12.00	449.50
2.2.04.02 सामाजिक तथा ढांचागत विकास निधि से पूर्ति की गयी राशि को घटाकर	2415	-73.37	...	-73.37	-61.32	...	-61.32	-7.50	...	-7.50
<i>निवल</i>		345.00	11.80	356.80	345.00	11.80	356.80	430.00	12.00	442.00
2.2.05 आर्थिक सांख्यिकी और प्रबंध	2415	4.00	18.60	22.60	3.00	18.60	21.60	3.00	19.00	22.00
2.2.06 कृषि इंजीनियरिंग	2415	42.00	46.50	88.50	42.00	46.50	88.50	51.00	48.00	99.00
2.2.07 कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड कृषि सूचना तथा प्रकाशन निदेशालय और बौद्धिकसम्पदा अधिकार प्रबन्ध सहित आईसीएआर मुख्यालय प्रशासन	2415	35.00	332.55	367.55	23.00	332.55	355.55	16.80	346.00	362.80
2.2.08 राष्ट्रीय कृषि नवाचार परियोजना/विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना	2415	252.00	...	252.00	273.23	...	273.23	288.97	...	288.97
जोड़-फसल कार्य के अन्य कार्यक्रम		1348.00	920.78	2268.78	1364.23	944.94	2309.17	1609.97	951.50	2561.47
जोड़-फसल कार्य		1348.00	930.78	2278.78	1364.23	947.39	2311.62	1609.97	954.50	2564.47
3. मृदा और जल संरक्षण										
3.01 मृदा और जल संरक्षण अनुसंधान संस्थान	2415	5.00	22.67	27.67	5.00	22.67	27.67	5.03	20.13	25.16
3.02 कृषि वानिकी अनुसंधान सहित अन्य एन.आर.एम. संस्थान	2415	85.00	166.74	251.74	85.00	166.74	251.74	103.00	172.00	275.00
3.03 कृषि के अनुरूप जलवायु संबंधी पहल	2415	180.00	...	180.00
जोड़-मृदा और जल संरक्षण		90.00	189.41	279.41	90.00	189.41	279.41	288.03	192.13	480.16
4. पशुपालन	2415	80.00	242.15	322.15	80.00	242.15	322.15	96.00	250.00	346.00
5. मात्स्यिकी	2415	45.00	111.00	156.00	45.00	115.00	160.00	55.00	114.00	169.00
जोड़-आईसीएआर को भुगतान		1563.00*	1473.34	3036.34	1579.23	1493.95	3073.18	2049.00	1510.63	3559.63
6. राष्ट्रमंडल कृषि ब्यूरो, अन्तर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परामर्शी समूह तथा एशिया प्रशान्त कृषि अनुसंधान संस्थान एसोसिएशन को अंशदान	2415	21.00	4.32	25.32	4.77	4.17	8.94	21.00	4.37	25.37
7. पूर्वोत्तर तथा सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं के लिए एकमुश्त प्रावधान	2552	176.00	...	176.00	176.00	...	176.00	230.00	...	230.00
जोड़-कृषि अनुसंधान और शिक्षा		1760.00	1477.66	3237.66	1760.00	1498.12	3258.12	2300.00	1515.00	3815.00
कुल जोड़		1760.00	1481.40	3241.40	1760.00	1501.36	3261.36	2300.00	1518.05	3818.05

* पूर्वोत्तर क्षेत्र के एक मुश्त प्रावधान को बेहतर ढंग से दर्शाने के लिए पृथक रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है।

ग. आयोजना परिव्यय	विकास शीर्ष	बजट 2009-2010			संशोधित 2009-2010			बजट 2010-2011		
		बजट समर्थन	आं.व.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.व.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.व.बा.सं.	जोड़
1. कृषि अनुसंधान और शिक्षा	12415	1584.00	...	1584.00	1584.00	...	1584.00	2070.00	...	2070.00
2. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	176.00	...	176.00	176.00	...	176.00	230.00	...	230.00
जोड़		1760.00	...	1760.00	1760.00	...	1760.00	2300.00	...	2300.00

इस मांग में कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के सचिवालय के व्यय के लिए प्रावधान के अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय निकायों को अंशदान, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को इसके नियंत्रणाधीन विभिन्न अनुसंधान संस्थानों तथा इसकी अनेक अनुसंधान परियोजनाओं, स्कीमों और क्रियाकलापों पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए सहायता अनुदानों की अदायगी शामिल है। इस प्रावधान में भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद् को कृषि उत्पाद उपकर अधिनियम, 1940 के अन्तर्गत उपकर

अधिनियम, 1940 के अन्तर्गत उपकर की निवल प्राप्तियों की अदायगी भी शामिल है। यह परिषद कृषि, मृदा और जल-संरक्षण, पशुपालन, मात्स्यिकी, डेरी उद्योग, वानिकी कृषि शिक्षा और विस्तार के क्षेत्र में भी अनुसंधान कार्य करने में लगी है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 20 करोड़ रुपए के प्रावधान सहित 200 करोड़ रुपए के आबंटन के साथ जलवायु संबंधी दबाव के समक्ष कृषि उपजों के संरक्षण और संवर्धन हेतु एक नई योजना कृषि के अनुरूप जलवायु संबंधी पहल आरंभ की गई है।